*डी.के. जैन, सी.जे. & और हेमंत गुप्ता,* जे. के समक्ष

सुखदेव सिंह धींद्स और अन्य - याचिकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाबताओं

सी. डब्लू .पी. 2005 की संख्या 5066

5 अगस्त, 2005

*भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226–जांच आयोग अधिनियम, 1952-धारा 3.5 और 8बी - जनहित याचिका - हवाला लेनदेन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन क अपराधों में मुख्यमंत्री के बेटे की संलिप्तता का आरोप - सरकार जांच आयोग नियुक्त करने की सिफारिश कर रही है - आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की - भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों के संबंध में उचित जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच की मांग करने वाली याचिका - आयोग की रिपोर्ट को अभी सदन के समक्ष चर्चा के लिए लाया जाना बाकी है - चूंकि जिन आरोपों ने अंततः सरकार को आयोग नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया, उन पर तब चर्चा की जाएगी जब आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, इसलिए उसी विषय पर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने का निर्देश देना उचित नहीं होगा - एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समानांतर जांच से एक टालने योग्य संघर्ष पैदा होगा, जो विधान सभा की सर्वोच्चता को भी कमजोर कर सकता है - इस स्तर पर समयपूर्व होने के कारण याचिका खारिज किये जाने योग्य है।*

*अभिनिर्णित*, माना कि आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जा चुकी है, जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। इस प्रकार, किसी भी शिकायत का चरण तब आएगा जब रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार कोई कार्रवाई या अन्यथा करने का निर्णय लेगी।

याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करें। रिपोर्ट पर क्या होगा विचार-विमर्श; सरकार वास्तव में इस पर क्या कार्रवाई करती है या वह सिफारिशों पर या सदन के अंतिम निर्णय पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लेती है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विधायकों या सरकार को विचार करना बाकी है। हमारा मानना है कि इस समय यह न्यायालय के लिए वांछनीय नहीं होगा कि वह आयोग की किसी भी टिप्पणी या निष्कर्ष पर टिप्पणी करे या फैसला सुनाए कि वह खराब या अवैध है।

(पैरा 11)

*आगे निर्णीत किया*, चूँकि जिन आरोपों ने अंततः सरकार को आयोग नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया, उन पर तब चर्चा की जाएगी जब आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, इस समय, उसी विषय पर जांच का निर्देश देना उचित नहीं होगा- मामला किसी अन्य एजेंसी द्वारा। जहां तक वैधानिक प्राधिकारियों का संबंध है, उनके द्वारा निम्नलिखित के तहत कार्रवाई की जाएगी। क़ानून, क़ानून से संबंधित कारणों से होना चाहिए और क़ानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाना चाहिए। इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि कानून में, उद्देश्यों की किसी कार्रवाई की वैधता के सवाल से कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया जा रहा है। उपलब्ध तथ्यों पर, जांच आयोग की नियुक्ति एक राजनीतिक निर्णय था, जिसे सबसे पहले, राजनीतिक मंच पर उठाया जाना था और इस उद्देश्य के लिए विधानमंडल के पटल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा. इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो या राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा समानांतर जांच और आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा से एक टालने योग्य संघर्ष पैदा होगा जो विधान सभा की सर्वोच्चता को

भी कमजोर कर सकता है। हमारी राय है कि ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए।

(पैरा 12)

आर.एन. त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ ऐच.एस. सिंधु, अधिवक्ता, याचिकर्ता के लिये।

उत्तरदाताओ के लिये कोई उपस्तित नहीं।

**निर्णय**

**डी.के. जैन, सी.जे.**

(1) सार्वजनिक हित में स्पष्ट रूप से दायर की गई इस रिट याचिका के माध्यम से, संसद के आठ सदस्यों (सात लोकसभा और एक राज्यसभा) ने न्यायमूर्ति बीएस नेहरा जांच आयोग द्वारा, दिनांक 17 दिसंबर, 2004 प्रस्तुत रिपोर्ट की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया है। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1, अर्थात् भारत संघ को हवाला लेनदेन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के अपराधों के आरोपों की जांच राजस्व खुफिया निदेशालय या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराने का निर्देश देकर रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए।।

(2) संक्षेप में कहा गया है, रिट याचिका से निकले तथ्य और याचिका में शामिल मुद्दे से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं:

*"एक लियोनार्ड ए, फ्रीके एम्स्टर्डम, नीदरलैंड का निवासी है (इसके बाद इसे 'फ्रीके' कहा जाएगा) और मुख्यमंत्री के बेटे का करीबी दोस्त बताया गया है, प्रतिवादी नंबर 7 ने पंजाब इंट्रानेट कम्पनी के नाम से एक परियोजना की कल्पना की है। प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, 2 फरवरी, 2003 को*

*फ़्रीके, प्रतिवादी नंबर 7 और पंजाब सरकार के अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। फ़्रीके की कंपनी, अर्थात्, एस्क्वायर कम्युनिकेशंस बी.वी. लिमिटेड (संक्षेप में, ') द्वारा एक मसौदा प्रस्ताव भेजा गया था। एस्क्यूरी') प्रतिवादी संख्या 7 और पंजाब सरकार के एक पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार, प्रतिवादी संख्या 10 को। प्रस्ताव के मुताबिक, एस्क्वायर को बिजनेस प्लान तैयार करना था और प्रोजेक्ट को लागू करना था। पंजाब इंट्रानेट एक्सचेंज की स्थापना की प्रारंभिक लागत, जो बिजनेस पार्कों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फाइबर-ऑप्टिक केबल नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति देती थी, अनुमानतः 2 मिलियन यूरो (11.34 करोड़ रुपये) थी। उसमें से एक मिलियन यूरो (5.67 करोड़ रुपये) का भुगतान पंजाब सरकार द्वारा बिजनेस प्लान तैयार करने और प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए एस्क्वेर को किया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय डच फर्म परियोजना को लागू करने के लिए तैयार हो रही थी, प्रतिवादी नंबर 7 ने फ्रीके को एक ई-मेल संदेश में चेतन गुप्ता को शामिल करने का निर्देश दिया, जिसे एक पुराने पारिवारिक सहयोगी के रूप में पेश किया गया था। परियोजना में भारतीय भागीदार के रूप में। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लिखा था कि सहमत यूरो दस लाख के बजाय 2.5 मिलियन यूरो (14.18 करोड़ रुपये) पंजाब सरकार के बजाय भारतीय भागीदार द्वारा उस फर्म को भेजे जाएंगे। यह ई-मेल 16 अक्टूबर, 2004 को 'हिंदुस्तान टाइम्स', चंडीगढ़ संस्करण द्वारा प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट को याचिका में दोबारा प्रस्तुत किया गया है।"*

(3) 27 दिसंबर, 2003 को, हिंदुस्तान टाइम्स ने "पंजाब इंट्रानेट के नाम पर अजीब लेनदेन?" शीर्षक के तहत एक लेख प्रकाशित किया। यह

खुलासा करते हुए कि सिंगापुर की एक फर्म ने मॉरीशस की एक कंपनी को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर भेजे थे, जिसने उस राशि का आधा हिस्सा एस्क्वायर को दे दिया था: यह आरोप लगाया गया है कि अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 7 एक के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन में लगा हुआ था। उन कंपनियों के साथ योजना, जिनका गठन होना बाकी था।

(4) अखबार की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के बेटे की कथित संलिप्तता को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा होता नजर आ रहा है. चूंकि एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग का राजनीतिक रंग था, इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत एक जांच आयोग की नियुक्ति की सिफारिश करने का फैसला किया है। तदनुसार, 2 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के माध्यम से, पंजाब के राज्यपाल ने अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया। राज्यपाल ने यह भी आदेश दिया कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के प्रावधान, किसी भी व्यक्ति को बुलाने के संबंध में आयोग को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करते हैं; किसी भी परिसर की तलाशी और जब्ती और आयोग की कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही मानना लागू होगा। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (4) इस प्रकार पढ़ें:

> *"3. आयोग की नियुक्ति.–(1) उपयुक्त सरकार, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, कर सकती है और यदि इस संबंध में एक प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन या, जैसा भी मामला हो, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिसूचना द्वारा पारित किया जाता है, कर सकती है। आधिकारिक राजपत्र*

*में, सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने और ऐसे कार्यों को करने और अधिसूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करें, और इस प्रकार नियुक्त आयोग जांच करेगा और तदनुसार कार्य करें :*

*बशर्ते कि जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसा कोई आयोग नियुक्त किया गया हो-*

*(ए) केंद्र सरकार द्वारा, कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना, उसी मामले की जांच के लिए किसी अन्य आयोग की नियुक्ति तब तक नहीं करेगी, जब तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है।*

*(बी) किसी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार उसी मामले की जांच के लिए तब तक किसी अन्य आयोग की नियुक्ति नहीं करेगी, जब तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है,*

*(2)……..*
*(3)……..*

*(4) उपयुक्त सरकार उप-धारा ( 1) आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के भीतर, उस पर की गई कार्रवाई का एक ज्ञापन।"*

(5) आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तें थीं:

*".....की सत्यता या अन्यथा की जांच करना 28 दिसंबर, 2003 को हिंदुस्तान टाइम्स के चंडीगढ़ संस्करण में प्रकाशित समाचार में आरोप शामिल थे।"*

(6) आयोग ने 17 दिसंबर 2004 को अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप दी। बताया जाता है कि यह रिपोर्ट 21 मार्च 2005 को पंजाब विधानसभा में रखी गई थी।

(7) याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह है कि अखबार में प्रकाशित सामग्री से हवाला लेनदेन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन में मुख्यमंत्री और उनके बेटे की संलिप्तता के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है और उनके द्वारा भ्रष्ट तरीकों से अर्जित बेहिसाब धन को विदेश भेजा जा रहा है। अवैध चैनलों के माध्यम से. याचिकाओं की शिकायत यह है कि विभिन्न अभ्यावेदन, ज्ञापन और संसद में उठाई गई मांगों के बावजूद, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों के संबंध में उचित जांच करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अधिनियम के तहत जांच आयोग इस मुद्दे को दरकिनार करने का मुख्यमंत्री का एक सोचा-समझा प्रयास है। इस प्रकार, यह दलील दी जाती है कि जांच आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से अस्थिर है और रद्द किये जाने योग्य है।

(8) हमने सुना है श्री आर.एन. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील त्रिवेदी ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी। श्री त्रिवेदी ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि अधिसूचना स्वयं ही खराब थी क्योंकि जांच आयोग की नियुक्ति की घोषणा करने की सरकार की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी, हालांकि, इसका उद्देश्य परिजनों को बचाना था

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्र एजेंसी से कराई पूरी जांच। यह तर्क दिया गया है कि यहां तक कि जांच आयोग ने भी इस निष्कर्ष को वापस करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है कि 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार पूरी तरह से मानहानिकारक था और झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित था, क्योंकि जांच आयोग के संदर्भ की अवधि थी केवल यह पता लगाने के लिए कि "पंजाब इंट्रानेट के नाम पर अजीब लेनदेन" शीर्षक वाली खबर में शामिल आरोपों में कोई सच्चाई थी या नहीं। यह भी आग्रह किया गया है कि मौजूदा मामले में, आरोप ऐसे थे कि आयोग, सीमित क्षेत्राधिकार के साथ, विदेश से सबूत प्राप्त किए बिना उनमें जाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं था, जैसा कि अन्य जांच एजेंसियों के पास है। दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे लेटर रोगेटरी जारी करना आदि। विद्वान वकील का कहना है कि चूंकि समाचार पत्र की रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा और प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का खुलासा हुआ था, केवल अधिनियम के तहत अधिकारी ही आरोपों की जांच करने में सक्षम थे। यह दलील दी गई है कि विवाद के केंद्र में रहे फ्रीके से आयोग द्वारा कोई पूछताछ न करना न केवल रिपोर्ट की नींव को कमजोर करता है, बल्कि अधिनियम की धारा 8बी के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है। समर्थन में, **किरण बेदी बनाम जांच समिति, (1)** और **बिहार राज्य बनाम लाई कृष्ण आडवाणी, (2)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा यह देखा गया कि किसी भी टिप्पणी करने या राय व्यक्त करने से पहले किसी व्यक्ति को एक अवसर देना आयोग का दायित्व है, जो उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है और इस आवश्यकता का पालन करने में विफलता है। कार्रवाई के साथ-साथ उसके परिणामों को भी निष्प्रभावी बना देता है। जहां तक जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन में पेश करने का सवाल है, विद्वान वकील का कहना है कि इसका

कोई परिणाम नहीं है क्योंकि धारा 3 की उपधारा (4) तभी लागू होती है जब आयोग की नियुक्ति की जाती है। सदन द्वारा कोई प्रस्ताव, अन्यथा नहीं। यह दावा किया गया है कि किसी भी मामले में, यह न्यायालय जांच आयोग के निष्कर्षों से बंधा नहीं है और इसलिए, आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां आयोग की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो या राजस्व खुफिया निदेशालय को आदेश दिया जाना चाहिए। समर्थन में, **शाम कांत बनाम महाराष्ट्र राज्य, (3)** में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

(9) हमारा मानना है कि इस समय वर्तमान याचिका गलत समझी गई है। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसा कर सकती है और यदि इस संबंध में एक प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा या, जैसा भी मामला हो, पारित किया जाता है। राज्य का विधानमंडल, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने और ऐसे कार्यों को करने और अधिसूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करता है और आयोग इसलिए नियुक्त व्यक्ति जांच करेगा और तदनुसार कार्य करेगा। धारा की उप-धारा (4) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार उप-धारा (1) के तहत आयोग द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखेगी। आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के भीतर उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी।

(10) जांच आयोग की स्थिति, रिपोर्ट और आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के संबंध में सिद्धांत इतने सुव्यवस्थित हैं कि किसी भी विस्तृत चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। **राम कृष्ण डालमिया बनाम एस.आर. तेंडोलकर, (4)** सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने पाया कि जांच आयोग की सिफारिशें लागू करने योग्य नहीं हैं और न्यायिक जांच के अर्थ में जांच या प्रतिउत्तर पर न्यायिक जांच के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक से कार्य करना तथाकथित। यह कोई निर्णय नहीं है. आयोग की रिपोर्ट केवल राय की अभिव्यक्ति है और इसमें अंतिमता और प्रामाणिकता दोनों का अभाव है।

(11) मौजूदा मामले में, माना जाता है कि आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जा चुकी है, जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। इस प्रकार, किसी भी शिकायत का चरण तब आएगा जब रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार कोई कार्रवाई करने या अन्यथा करने का निर्णय लेगी। याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करें। रिपोर्ट पर क्या होगा विचार-विमर्श; सरकार वास्तव में इस पर क्या कार्रवाई करती है या वह सिफारिशों पर या सदन के अंतिम निर्णय पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लेती है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विधायकों या सरकार को विचार करना बाकी है। हमारा मानना है कि इस समय इस न्यायालय के लिए यह वांछनीय नहीं होगा कि वह आयोग की किसी भी टिप्पणी या निष्कर्ष पर टिप्पणी या निर्णय दे, कि वह खराब या अवैध है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अनुरोध किया है।

(12) जहां तक इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो या राजस्व खुफिया निदेशालय को जांच के लिए भेजने की प्रार्थना का संबंध है, हमारा विचार है कि चूंकि आरोप, जिसने अंततः सरकार को आयोग नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, उस पर तब चर्चा की जाएगी जब

आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है, इस समय उसी विषय पर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। जहां तक वैधानिक प्राधिकारियों का सवाल है, किसी क़ानून के तहत उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क़ानून से संबंधित कारणों से होनी चाहिए और क़ानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि कानून में, उद्देश्यों की किसी कार्रवाई की वैधता के सवाल से कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया जा रहा है। उपलब्ध तथ्यों पर, जांच आयोग की नियुक्ति एक राजनीतिक निर्णय था, जिसे सबसे पहले, राजनीतिक मंच पर उठाया जाना था और इस उद्देश्य के लिए विधानमंडल के पटल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि वर्तमान समय में, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा समानांतर जांच और आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा से एक टालने योग्य संघर्ष पैदा होगा, जो सर्वोच्चता को भी कमजोर कर सकता है। विधान सभा। हमारी राय है कि ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए।' इस संदर्भ में, **ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम पिकिन, (5)** में लॉर्ड रीड की निम्नलिखित टिप्पणियाँ काफी उपयुक्त होंगी:

> *"एक सदी या उससे भी अधिक समय से संसद और अदालतें दोनों इस बात को लेकर सावधान रही हैं कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनके बीच टकराव पैदा हो। प्रतिवादी जैसी कोई भी जांच आसानी से इस तरह के संघर्ष का कारण बन सकती है, और मैं इसका समर्थन केवल तभी करूंगा जब स्पष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सदी से भी अधिक समय से प्राधिकरण*

*की पूरी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से ऐसी किसी भी जांच की अनुमति देने के खिलाफ है।"*

(13) हालाँकि, हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत हैं कि आयोग द्वारा की गई जाँच कानून के न्यायालयों के कार्य को हड़पने के समान नहीं है और उस मामले के लिए, इस न्यायालय और जाँच आयोग द्वारा न्यायिक पुनर्मूल्यांकन का दायरा पूरी तरह से अलग हैं, खासकर जब, शीर्ष अदालत द्वारा अपनाई गई अभिव्यक्ति को उधार लेने के लिए, आयोग की रिपोर्ट में कोई बल-प्रयोज्य शक्ति नहीं है, लेकिन हमारा विचार है कि उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर याचिका समय से पहले है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके अनुसार हम इस प्रश्न से निपटना अनावश्यक समझते हैं कि अधिनियम की धारा 8बी में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नहीं।

(14) उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान चरण में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है। फिर भी, हमें विश्वास है कि राज्य सरकार यथासंभव शीघ्रता से रिपोर्ट की जांच करेगी और निर्णय लेगी कि उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जानी आवश्यक है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दलील दी थी कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है प्रतिवेदन सहित प्रतिवेदन सदन के समक्ष नहीं रखा गया है। अन्यथा, हम. उन्हें लगता है कि आयोग के गठन का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और यह आरोप कि आयोग की नियुक्ति केवल दिखावा करने के लिए की गई थी, विश्वसनीयता हासिल कर लेगा।

***<u>अस्वीकरण:</u>***

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

**सागर शर्मा**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
**नूँह, हरियाणा**